संख्या- 118 /2026/ 919 /चार-2026-1781659

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2026**

विषयः- भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2025-26 के आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराते हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4827/सं0नि0-15(54)/2025-26, दिनांक 22 मार्च, 2026 तथा पत्र संख्या-4828/सं0नि0-15(54)/2025-26, दिनांक 22 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव 2025-26 के अन्तर्गत दिनांक 16-28 फरवरी, 2026 तक सीमावर्ती 08 जनपदों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में शासनादेश संख्या-347 /2025/3501/चार-2025-1781659 दिनाक 12 दिसंम्बर, 2025 द्वारा कलाकारों के मानदेय एवं किराया के भुगतान हेतु प्रदान की गई रू0 75.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कलाकारों के मानदेय एवं किराये पर हुये वास्तविक व्यय रू0 55,59,260.00 का भुगतान करने के उपरांत उक्त के अतिरिक्त विभिन्न व्यवस्थाओं यथा टेण्टेज, लाईट-साउण्ड, साज-सज्जा, प्रचार-प्रसार, कलाकारों के आवास भोजन, यातायात आदि पर **वास्तविक व्यय रू0 2,17,22,743.00** हुआ है। यह भी अवगत कराया गया है कि विभिन्न व्यवस्थाओं के निम्न विवरण के अनुसार बीजक प्राप्त हुए हैं:-

क्र०	फर्म का नाम	बिल सं० व दिनांक	धनराशि
1	मे0 एस-3 इन्फोमीडिया प्रा०लि०, लखनऊ।	198, 199, 200, 201/18.03.2026, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/14.03.2026	2,03,03,076.00
2	मे० मानवी ट्रेवल्स, लखनऊ।	311, 312, 313, 314, 315/05.03.2026	12,95,392.00
3	मे० बाला जी एण्टरप्राइजेज, लखनऊ।	153, 154/05.03.2026	25,808.00
	मे० श्री माँ वैष्णो ट्रेवल्स, लखनऊ।	140/18.02.2026	3,150.00
4	मे० गैलेक्सी ट्रेवलर्स, कुशीनगर।	2839, 2840, 2841, 2844, 2845, 2846, 2842, 2843/22.02.2026	95,317.00
	योग (रूपये दो करोड़ सत्तरह लाख बाईस हजार सात सौ तेतालीस मात्र)		2,17,22,743.00

कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 2,17,22,743.00** की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष सुसंगत मद में अवशेष धनराशि रू0 1,44,40,740/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 72,82,003/- अर्थात पूर्णांकित धनराशि रू0 73.00 लाख (रूपये तिहत्तर लाख) का पुनर्विनियोग कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 73.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराते हुए, भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव 2025-26 के अन्तर्गत दिनांक 16-28 फरवरी, 2026 तक सीमावर्ती 08 जनपदों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 2,17,22,743.00 (रू0 दो करोड़ सत्रह लाख बाईस**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हजार सात सौ तिरालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) स्थानीय कलाकारों के माध्यम से संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों पर कार्यक्रम कराने हेतु कलाकारों का मानदेय अनुमोदित किया जायेगा। आनुषंगिक व्यय प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों एवं शर्तों पर कराकर वास्तविक व्यय विवरण के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26, नवम्बर, 2024 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है। अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा कार्यक्रमों का विवरण, फोटो/ वीडियो एवं व्यय संबंधी सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जायें एवं पोस्ट आडिट भी कराना सुनिश्चित किया जाय।

(14) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(15) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(16) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(17) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(19) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव

संख्या- 118 /2026/ 919 (1)/चार-2026-1781659 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-920-Reapp 05-Nepal Prog

विषयः- 05-नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेला महोत्सवों का आयोजन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण ,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001020400 (भारतरत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	82,07,000 रुपये बयासी लाख सात हजार मात्र	45,41,000 रुपये पैंतालीस लाख इकतालीस हजार मात्र	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	59,07,000 रुपये उनसठ लाख सात हजार मात्र	2025-2026
092	2205001021100 (भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल का संचालन एवं रख-रखाव)	29 (अनुरक्षण)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	0 शून्य	2025-2026
कुल					₹ 73,00,000	₹ 73,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205008000500 (नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों मे मेलों / महोत्सवों का आयोजन)	42 (अन्य व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	2,73,00,000 रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 73,00,000	₹ 73,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारणः- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-739-E-7-314-X-2025-26-दिनांक: 27-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 118 /2026/ 919 (1)/चार-2026-1781659 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।